भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 413 का उत्तर

केरल में चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन

413. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन हेतु कोई विकास परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं अथवा प्रस्तावित हैं;

(ख) यदि हां, तो अवसंरचना में सुधार, सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट योजनाओं की अनुमानित लागत और अनुमोदन की स्थिति सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और इनके पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त रेलवे स्टेशन पर आवश्यकताओं और उन्नयन के संबंध में यात्रियों और प्रतिनिधियों सहित स्थानीय हितधारकों से परामर्श किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की निकट भविष्य में यात्री सुविधाओं और सेवाओं में वृद्धि करने के लिए उक्त रेलवे स्टेशन की चिह्नित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योजना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं से यात्रियों को विशेषकर उक्त रेलवे स्टेशन पर बेहतर पहुंच, सुविधा और अवसंरचना के संदर्भ में क्या लाभ होने की उम्मीद है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

केरल में चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री कोडिकुन्नील सुरेश के अतारांकित प्रश्न सं. 413 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता, धनराशि की उपलब्धता आदि के अनुसार किए जाते हैं। स्टेशनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्य को स्वीकृत करते और निष्पादित करते समय निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

हाल के वर्षों में, चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन पर रैंप वाले फ़र्श, परिचलन क्षेत्र में सशुल्क शौचालयों में सुधार, वातानुकूलित प्रतीक्षालय के साथ-साथ रिटायरिंग रूम में सुधार और क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म शेल्टर की छतों को बदलने का कार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केरल राज्य में पड़ने वाले चेंगानूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इस योजना में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करना और रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता में सुधार लाने, मुफ्त वाई-फाई, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, भूदृश्य निर्माण आदि जैसे सुविधाओं के लिए उनका चरणों में कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से और व्यवहार्यता के अनुसार, स्टेशन भवन में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर की दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था और दीर्घकाल में 'रूफ प्लाजा', और रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टर्स के निर्माण की संकल्पना की गई है। इस योजना में स्टेशनों के विकास के लिए सभी हितधारकों के साथ उचित चर्चा/परामर्श शामिल है और ऐसा ही चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन के लिए भी किया गया है।

स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के आवंटन का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार। यात्री सुविधाओं को आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषण किया जाता है। केरल में चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन दक्षिण रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाओं' के अंतर्गत स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए दक्षिण रेलवे को वर्ष (2024-25 अनुमान बजट) के लिए 1383.24 करोड़ रूपए की निधि का आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें रेलगाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा अंतर्ग्रस्त होती है और विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति के कार्य ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध, आदि के कारण भी प्रभावित होता है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते है। अत: इस समय कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

*****